भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2077
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता

2077. श्री मलविंदर सिंह कंग :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब के सीमावर्ती जिलों में निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन किया है ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या उक्त जिलों में कानूनी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त निधि आबंटित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) विधिक सेवा प्राधिकरण (एल.एस.ए.) अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) नियमित रूप से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करता है ताकि पंजाब सहित पूरे देश में विधिक सहायता सेवाओं के प्रभाव का आकलन किया जा सके। समसामयिक रूप से, विधिक सेवाओं की संस्थाओं के समग्र कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों के दौरान, राज्य और जिला विधिक

सेवा प्राधिकरणों के अधिकारी विधिक सहायता सेवाओं की प्रभावशीलता पर बहुमूल्य प्रतिक्रिया देते हैं।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पंजाब राज्य में 2 लाख से अधिक हिताधिकारियों ने विधिक सहायता और सलाह प्राप्त की है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा जिला-वार विधिक सहायता और सलाह के हिताधिकारियों के आंकड़े संधारित नहीं किये जाते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन तैयार की गई विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य / संघ राज्यक्षेत्र विधिक सेवा प्राधिकरणों को निधियों का आवंटन समेकित आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा जिला-वार निधि आवंटन का आंकड़ा संधारित नहीं किया जाता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आवंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार है: -

वित्तीय वर्ष	विधिक सहायता हेतु निधि (रुपये)	एलएडीसीएस स्कीम हेतु निधि (रुपये)	कुल (रुपये)
2023-2024	7,50,00,000	10,75,00,000	18,25,00,000
2024-2025	7,94,00,000	4,40,00,000	12,34,00,000
2025-2026	10,25,00,000	11,04,49,000	21,29,49,000
कुल	25,69,00,000	26,19,49,000	51,88,49,000
